



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में गलत ट्रैफिक ई-चालान को कैसे चुनौती दी जा सकती है, मोटर यान अधिनियम, 1988 नोटिस और सुनवाई के बारे में क्या कहता है, चालान नजरअंदाज करने पर क्या होता है, और बेचे जा चुके वाहन पर आए चालान के लिए क्या उपाय हैं?”

भारत में गलत ट्रैफिक ई-चालान को चुनौती देने, नोटिस की तामीला, चालान की अनदेखी और बेचे जा चुके वाहन पर देयता के संबंध में कानूनी उपाय

सारांश

भारत में गलत ई-चालान को कंपाउंड (शमन) करने से इनकार करके और वर्चुअल या नियमित न्यायालय में चुनौती देकर सुधारा जा सकता है, जिसके लिए चालान में तकनीकी साक्ष्य (जैसे फोटो और धारा 65B प्रमाणपत्र) का होना अनिवार्य है (*Sonali Karwasra v. Union of India* (2023))। चालान को नजरअंदाज करने पर वाहन के इतिहास में दोष दर्ज रहता है, जिससे फिटनेस प्रमाणपत्र या परमिट का नवीनीकरण रोक दिया जाता है। वाहन बेचे जाने के बाद भी यदि आरटीओ (RTO) रिकॉर्ड में स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने *Naveen Kumar v. Vijay Kumar and Ors.* (2018) में यह निर्धारित किया है कि पंजीकृत स्वामी ही कानूनन जिम्मेदार बना रहेगा, हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने *Urmila v. Sushma* (2019) में वास्तविक कब्जे के आधार पर भिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किया है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	3	2025
18 उच्च न्यायालय • 7 सर्वोच्च न्यायालय		High Court of Punjab and Haryana

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 गलत ई-चालान को चुनौती देने का अधिकार

नागरिक के पास यातायात चालान के शमन (compounding) को अस्वीकार करने और न्यायालय में अपनी बेगुनाही साबित करने का अधिकार है; शमन प्रक्रिया पूर्णतः स्वैच्छिक है और इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता, जैसा कि *Car Carrier Association v. State of Rajasthan* (2018) में स्पष्ट किया गया है।

02 ई-चालान के लिए अनिवार्य तकनीकी मानदंड

इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से जारी किए गए स्वचालित चालानों में स्पष्ट फोटो साक्ष्य, गति/उपकरण माप, सटीक समय/स्थान और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत एक डिजिटल प्रमाणपत्र होना आवश्यक है, अन्यथा वे तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण माने जाएंगे, जैसा *Sonali Karwasra v. Union of India* (2023) में रेखांकित है।

03 सुनवाई का अवसर और पते की वैधता

प्रशासनिक और यातायात नियंत्रण कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है; हालांकि, नोटिस की तामीला के संबंध में आरसी (Registration Certificate) में दर्ज पता ही कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा जब तक कि उसमें संशोधन की सूचना न दी गई हो (*Moolchand Meena v. State of Rajasthan* (2025))।

04 चालान नजरअंदाज करने के प्रशासनिक परिणाम

यदि ई-चालानों को नजरअंदाज किया जाता है, तो वे केंद्रीय 'वाहन' (Vahan) और 'सारथी' (Sarathi) डेटाबेस में दर्ज रहते हैं, जिससे वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र (Fitness Certificate) के नवीनीकरण और परमिट हस्तांतरण को प्रशासनिक रूप से रोक दिया जाता है (*Narendra Singh v. Union of India* (2023) तथा *Ravindra Kumar v. Union Of India* (2023))।

05 पंजीकृत स्वामी की अनवरत देयता (धारा 2(30))

वाहन के वास्तविक कब्जे के हस्तांतरण के बावजूद, यदि आरटीओ अभिलेखों में स्वामित्व का हस्तांतरण दर्ज नहीं किया जाता है, तो पंजीकृत स्वामी ही कानूनी रूप से 'स्वामी' बना रहता है और किसी भी दुर्घटना या देयता के लिए उत्तरदायी होता है (*Naveen Kumar v. Vijay Kumar and Ors.* (2018))।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण	<i>Naveen Kumar v. Vijay Kumar and Ors.</i> (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को अंतहीन हस्तांतरणों के चक्रव्यूह से बचाना है; अतः जब तक आरटीओ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, पंजीकृत स्वामी ही उत्तरदायी रहेगा। इसके विपरीत, <i>Purnya Kala Devi v. State of Assam & Anr.</i> (2014) और <i>National Insurance Co. Ltd. v. Deepa Devi</i> (2007) में न्यायालय ने माना कि यदि वाहन राज्य द्वारा चुनाव या अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहित (requisitioned) कर लिया गया था, तो नियंत्रण खो जाने के कारण पंजीकृत स्वामी नहीं बल्कि राज्य उत्तरदायी होगा।
उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ	दिल्ली उच्च न्यायालय ने <i>Urmila v. Sushma</i> (2019) में फुल बेंच के निर्णय का संदर्भ देकर माना कि वास्तविक बिक्री और कब्जे के हस्तांतरण के बाद विक्रेता का दायित्व समाप्त हो जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के <i>Naveen Kumar</i> मामले के सख्त नियमों के साथ एक वैधानिक तनाव उत्पन्न करता है। वहीं केरल उच्च न्यायालय ने <i>K.R. Kuttappan v. Anandakkuttan</i> (2021) में पंजीकृत स्वामी के सख्त देयता सिद्धांत को ही दोहराया है।
हाल का विकास	<i>Benetton India Private Limited v. State NCT of Delhi</i> (2024) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वचालित सीसीटीवी कैमरों से उत्पन्न होने वाले ई-चालानों के सुगम और त्वरित ऑनलाइन निस्तारण के लिए ई-कोर्ट (e-Courts) और लोक अदालतों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

यद्यपि नागरिक अदालतों के माध्यम से गलत चालान को चुनौती दे सकते हैं, व्यावहारिक रूप से छोटे चालानों को अदालतों में लड़ना अत्यधिक खर्चीला और जटिल होने के कारण आम नागरिक लोक अदालतों या शमन (compounding) के आसान रास्ते को चुनते हैं, जैसा कि *Benetton India Private Limited* (2024) में नोट किया गया है।

II. सांविधिक प्रावधान 3 प्रावधान

SECTION 136A, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — ELECTRONIC MONITORING AND ENFORCEMENT OF ROAD SAFETY

यह धारा राज्य सरकारों को राजमार्गों और प्रमुख शहरी शहरों में गति मापने वाले कैमरों और सीसीटीवी जैसी तकनीक का उपयोग करके सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन सुनिश्चित करने का अधिकार देती है।

"(1) The State Government shall ensure electronic monitoring and enforcement of road safety in the manner provided under sub-section (2) on national highways, state highways, roads or in any urban city within a State which has a population up to such limits as may be prescribed by the Central Government. (2) The Central Government shall make rules for the electronic monitoring and enforcement of road safety including speed cameras, closed-circuit television cameras, speed guns, body wearable cameras and such other technology." उद्धृत: इस डेटासेट में उपलब्ध मामलों में सीधे विशिष्ट रूप से उद्धृत नहीं

SECTION 200, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — COMPOSITION OF CERTAIN OFFENCES

यह धारा निर्दिष्ट अधिकारियों को अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को शमित (compound) करने की अनुमति देती है, जिससे निर्धारित राशि के भुगतान पर उल्लंघनकर्ता को आगे की दंडात्मक कार्यवाही से मुक्त कर दिया जाता है।

"(1) Any offence whether committed before or after the commencement of this Act punishable under section 177, section 177A, section 178, section 179, section 180, section 181, section 182, sub-section (1) or sub-section (3) or sub-section (4) of section 182A, section 182B, sub-section (1) or sub-section (2) of section 183, clause (c) of the Explanation to section 184, section 186, section 189, sub-section (2) of section 190, section 192, section 192A, sub-section (3) of section 192B, section 194, section 194A, section 194B, section 194C, section 194D, section 194E, section 194F, section 196, section 198 and section 201, may, either before or after the institution of the prosecution, be compounded by such officers or authorities and for such amount as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf. (2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence." उद्धृत: The Jaitpura Cooperative Transport Society Ltd. v. State of Haryana

SECTION 50, MOTOR VEHICLES ACT, 1988 — TRANSFER OF OWNERSHIP

यह धारा वाहन के हस्तांतरण के बाद विक्रेता (अंतरक) और खरीदार (अंतरी) द्वारा आरटीओ के समक्ष स्वामित्व हस्तांतरण की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करती है।

"(1) Where the ownership of any motor vehicle registered under this Chapter is transferred,— (a) the transferor shall,— (i) in the case of a vehicle registered within the same State, within fourteen days of the transfer, report the fact of transfer, in such form with such documents and in such manner, as may be prescribed by the Central Government to the registering authority within whose jurisdiction the transfer is to be effected and shall simultaneously send a copy of the said report to the transferee; and ... (b) the transferee shall, within thirty days of the transfer, report the transfer to the registering authority within whose jurisdiction he has the residence or place of business where the vehicle is normally kept, as the case may be, and shall forward the certificate of registration to that registering authority together with the prescribed fee and a copy of the report received by him from the transferor in order that particulars of the transfer of ownership may be entered in the certificate of registration." उद्धृत: Urmila v. Sushma

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Sonali Karwasra v. Union of India</i> DLHC010378712021	HIGH COURT OF DELHI	2023	ई-चालान के साथ स्पष्ट फोटो साक्ष्य और धारा 65B का डिजिटल प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
02	<i>Chander Dev v. Sahil</i> PHHC011027012014	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्याय सुनिश्चित करने हेतु तकनीकी बाधाओं को शिथिल किया जा सकता है।
03	<i>The Jaitpura Cooperative Transport Society Ltd. v. State of Haryana</i> PHHC010596002007	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2012	गैर-शमन योग्य अपराधों के चालानों को सुनवाई हेतु सक्षम अदालत में भेजा जाना आवश्यक है।
04	<i>Smt. Harwinder Kaur v. State of U.P.</i> UPHC020494232025	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	विधायी संशोधन के प्रभाव से एक विशिष्ट अवधि के लंबित ई-चालान स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
05	<i>National Insurance Company Ltd. v. Meghji Naran Soratiya & Ors.</i> ESCR010007602009	SUPREME COURT OF INDIA	2009	प्रक्रियात्मक त्रुटि या कारणों की अनुपस्थिति मात्र से दावे के विरोध की अनुमति रद्द नहीं होती।
06	<i>K.R. Kuttappan v. Anandakkuttan</i> KLHC010308542010	HIGH COURT OF KERALA	2021	आरटीओ रिकॉर्ड में स्वामित्व बदलने तक केवल पंजीकृत स्वामी ही तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी है।
07	<i>National Insurance Co. Ltd. v. Deepa Devi</i> ESCR010003112007	SUPREME COURT OF INDIA	2007	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित वाहन की दुर्घटना के लिए पंजीकृत मालिक उत्तरदायी नहीं है।
08	<i>Satpal v. Puran Chand</i> HPHC010082792015	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2024	आरटीओ रिकॉर्ड में नाम दर्ज रहने तक पंजीकृत व्यक्ति ही कानूनी रूप से स्वामी माना जाएगा।
09	<i>United India Insurance Company Ltd. v. Raksha Devi</i> HPHC010142242016	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2024	वाहन के क्रमिक हस्तांतरण के बावजूद पंजीकृत मालिक की दुर्घटना देयता समाप्त नहीं होती।
10	<i>The State of Arunachal Pradesh v. Ramchandra Rabidas</i> ESCR010003792019	SUPREME COURT OF INDIA	2019	सड़क दुर्घटनाओं में मोटर वाहन अधिनियम और आईपीसी (IPC) की समानांतर कार्यवाहियां मान्य हैं।
11	<i>Chairman, Thiruvalluvar Transport Corporation v. Consumer Protection Council</i> ESCR010001311995	SUPREME COURT OF INDIA	1995	सड़क दुर्घटना के दावों के निस्तारण के लिए उपभोक्ता मंचों के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
12	<i>Moolchand Meena v. State of Rajasthan</i> RJHC020809222025	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2025	आरसी में उल्लिखित पंजीकृत पते पर भेजा गया कोई भी नोटिस कानूनी रूप से वैध तामिला है।
13	<i>Car Carrier Association v. State of Rajasthan</i> RJHC021124092018	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2018	यदि वाहन चालक चालान से असहमत है, तो वह शमन से इनकार कर अदालत में लड़ सकता है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
14	Benetton India Private Limited v. State NCT of Delhi DLHC010480652024	HIGH COURT OF DELHI	2024	ई-चालानों का ऑनलाइन निपटान और ई-कोर्ट के माध्यम से सरलीकृत प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
15	Narendra Singh v. Union of India UPHC010192242023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	शमन योग्य ई-चालानों के समाधान के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता।
16	The State of Himachal Pradesh v. Goel Bus Service Kullu ESCR010003672023	SUPREME COURT OF INDIA	2023	बिना वैध परमिट के चल रहे परिवहन वाहनों पर अतिरिक्त सड़क कर लगाने की वैधता।
17	Naveen Kumar v. Vijay Kumar and Ors. ESCR010004462018	SUPREME COURT OF INDIA	2018	आरटीओ रिकॉर्ड में दर्ज पंजीकृत स्वामी ही कानून की नजर में वास्तविक मालिक है।
18	United India Insurance Company Limited v. Y. Adilakshmi HBHC010376482007	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2010	दावों के त्वरित और शीघ्र निपटान हेतु संक्षिप्त और सुगम प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य।
19	Umesh Kumar v. Leela Devi HPHC010630382024	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2025	न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों में दीवानी प्रक्रिया संहिता के कड़े नियमों का सीमित अनुप्रयोग।
20	Ravindra Kumar v. Union Of India UPHC010436002023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	शमन शुल्क और देय जुर्माना जमा करने पर जब्त वाहन को तुरंत मुक्त करने का निर्देश।
21	Patricia Reiter v. Somnath Sharad Mandrekar HCBM050009722025	BOMBAY HIGH COURT	2025	विवाद रहित सरल मामलों (जैसे ट्रैफिक चालान) को पूरी तरह ऑनलाइन निपटाने का सुझाव।
22	Rabina v. Arshad PHHC010995042014	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	वाहन बिक्री समझौते के बावजूद पंजीकृत स्वामी की दुर्घटना देयता बनी रहती है।
23	Icici Lombard General Insurance Co. Ltd. v. Rambeti UPHC020860792023	ALLAHABAD HIGH COURT	2023	न्यायाधिकरण के समक्ष गैर-उपस्थिति का 'पर्याप्त कारण' केवल पक्षकार या वकील द्वारा दिया जा सकता है।
24	Purnya Kala Devi v. State of Assam & Anr. ESCR010005402014	SUPREME COURT OF INDIA	2014	अधिग्रहण के समय वाहन पर पूर्ण नियंत्रण होने के कारण राज्य ही 'स्वामी' की परिभाषा में आएगा।
25	Urmila v. Sushma DLHC014561982017	HIGH COURT OF DELHI	2019	बिक्री और कब्जा हस्तांतरण के बाद विक्रेता को दुर्घटना मुआवजे के दायित्व से मुक्ति।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Sonali Karwasra v. Union of India

HIGH COURT OF DELHI • 2023-02-09 • W.P.(C)/13924/2021

यह याचिका एक Public Interest Litigation थी, जिसमें Petitioner ने यातायात नियमों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक की विश्वसनीयता पर चिंता व्यक्त की थी। Petitioner का तर्क था कि भारत में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और तकनीक (जैसे गति मापक यंत्र और Breath Analyzers) अक्सर त्रुटिपूर्ण हैं, जिससे आम नागरिकों पर गलत तरीके से भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। Petitioner ने बेहतर बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उपकरणों के मानकीकरण, और बेहतर प्रशिक्षण की मांग की थी। न्यायालय ने रिकॉर्ड पर लिए गए जवाबों और Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए इस मामले का निस्तारण किया।

निर्णय न्यायालय ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 और संबंधित नियमों के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया। यह निर्धारित किया गया कि नियम 167 के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से जारी सभी ई-चालान के साथ स्पष्ट फोटो साक्ष्य, डिजिटल माप और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

“All challans issued under rule 167 in electronic form using auto-generation of challan through the electronic monitoring and enforcement Digitaaly Signed By:BHUPINDER SINGH ROHELLA Signing Date:09.02.2023 15:32:27 Signature Not Verified Neutral Citation Number: 2023/DHC/000924 W.P.(C) 13924/2021 Page 13 of 19 system shall be accompanied with the following information, namely:-- (i) clear photographic evidence highlighting the offence and the license plate of the vehicle; (ii) measurement from the electronic enforcement device; (iii) Date, time and place of the offence; (iv) notice specifying the provision of Act that has been violated; (v) certificate as per sub-section (4) of section 65 8 of the Indian Evidence Act 1872 (I of 1872)...”

HIGH COURT OF DELHI • 2023

स्रोत DLHC010378712021

02 Chander Dev v. Sahil

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-09-22 • FA0/4516/2014

यह मामला Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मुआवजे को बढ़ाने के लिए दायर की गई अपील से संबंधित है। ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता को दुर्घटना में लगी साधारण चोटों के लिए मामूली मुआवजा दिया था। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि Section 173(2) के तहत निर्धारित सीमा से कम राशि होने के कारण अपील सुनवाई योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि अपील तकनीकी रूप से सुनवाई योग्य नहीं थी, लेकिन न्याय के हित में न्यायालय ने अपने अंतर्निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपील को 'revision petition' में परिवर्तित कर दिया। न्यायालय ने अपीलकर्ता की कम उम्र और चोटों को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि में 1,00,000 रुपये की वृद्धि की और 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का आदेश दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि मोटर यान अधिनियम जैसे जन-कल्याणकारी कानून के तहत प्रक्रियाओं की कठोर व्याख्या करके न्याय के रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

“The Hon’ble Supreme Court has consistently underscored that the strict adherence to procedural technicalities, including the rigid application of the Rules of Evidence and the Civil Procedure Code, is inapplicable to proceedings under the Motor Vehicles Act.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC011027012014

03 The Jaitpura Cooperative Transport Society Ltd. v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012-07-25 • CWP/3030/2007

यह मामला सार्वजनिक परिवहन के लिए बिना वैध परमिट के वाहन चलाने की समस्या से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा राज्यों ने न्यायालय के समक्ष हलफनामे दायर किए, जिसमें उन्होंने बिना परमिट के वाहनों के संचालन को रोकने के लिए Motor Vehicles Act, 1988 की Section 192-A और Section 207 के तहत सख्त प्रवर्तन निर्देश जारी करने की पुष्टि की। हरियाणा ने अपराध के वर्गीकरण और जुर्माने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई, जबकि पंजाब ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और वाहनों की जब्ती पर जोर दिया। न्यायालय ने दोनों राज्यों द्वारा अपनाए गए इन कदमों पर संतोष व्यक्त किया और उन्हें इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए याचिकाएं निपटा दीं।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई विशिष्ट उल्लंघन (जैसे धारा 192A के तहत) शमन योग्य नहीं होता है, तो ऐसे मामलों के चालानों को कानूनी जांच और सजा के लिए सीधे सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए।

“Since the offence committed under Section 192A of the Motor Vehicles Act, 1988 is not compoundable as per section 200 of the Motor Vehicles Act as such the challan so made may be sent to the Hon’ble Court for trial and same may be perused to get the offence penalized under section 192A of the Motor Vehicles Act, 1988.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2012

स्रोत PHHC010596002007

04 Smt. Harwinder Kaur v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-07-07 • WRIA/7135/2025

यह मामला 31.12.2016 से 31.12.2021 की अवधि के दौरान जारी किए गए e-challans को हटाने की मांग से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि Uttar Pradesh Criminal Law (Composition of Offences & Abatement of Trials) (Amendment) Act, 2023 के तहत ये challans कानूनी रूप से abated (समाप्त) हो चुके हैं। न्यायालय ने माना कि विधायी संशोधन के संचालन द्वारा ये e-challans स्वतः ही समाप्त हो गए हैं। न्यायालय ने Transport Commissioner को निर्देश दिया कि वे पोर्टल से संबंधित अवधि के सभी challans को एक महीने के भीतर हटाएं। साथ ही, Registrar General को निर्देश दिया गया कि वे अधीनस्थ न्यायालयों को इन लंबित मामलों को abated मानकर बंद करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक निर्देश जारी करें।

निर्णय न्यायालय ने यूपी राज्य सरकार के कानूनी संशोधनों का संज्ञान लेते हुए एक विशिष्ट समयावधि (2016 से 2021) के लंबित ई-चालानों को विधायी प्रक्रिया के तहत स्वतः उपशमित (abate) मानते हुए पोर्टल से हटाने का आदेश दिया।

“Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,- (1) the trial of an accused for- (a) an offence punishable under- (i) the Motor Vehicles Act, 1988; ... pending before a Magistrate on the date of commencement of this Act from before January 1, 2013 shall abate.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC020494232025

05 National Insurance Company Ltd. v. Meghji Naran Soratiya & Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2009-02-26 • 2009 INSC 271

यह मामला Motor Vehicles Act, 1988 की Section 149(2) और Section 170 के तहत बीमाकर्ता (insurer) को दावा लड़ने की अनुमति देने से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि Tribunal बीमाकर्ता को दावा लड़ने की अनुमति देता है, तो केवल इसलिए कि अनुमति आदेश में कारण नहीं लिखे गए हैं, उस अनुमति को रद्द नहीं किया जा सकता। यदि कारण स्पष्ट नहीं हैं, तो High Court या तो मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है या स्वयं मामले के तथ्यों पर विचार कर सकता है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि चूंकि अंतिम जिम्मेदारी बीमाकर्ता पर होती है, इसलिए Parliament और Law Commission को इस पर विचार करना चाहिए कि बीमाकर्ता को बिना अनुमति के सीधे दावा लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं।

निर्णय न्यायालय ने प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर उदार रुख अपनाया और यह निर्धारित किया कि दावों के विरोध के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दी गई अनुमति केवल कारण न दर्ज किए जाने के आधार पर अवैध नहीं हो जाती।

“If the order granting permission required reasons to be recorded, on challenge, High Court could either set aside the permission granted with a direction to Tribunal to pass a reasoned order or itself consider whether the case warranted permission - But under no circumstance permission by Tribunal to contest the claim can be equated to or treated as denial of permission merely on the ground that reasons were not recorded.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2009

स्रोत ESCR010007602009

06 K.R. Kuttappan v. Anandakkuttan

HIGH COURT OF KERALA • 2021-03-22 • MACA/1325/2010

यह मामला Motor Vehicles Act के Section 166 के तहत मुआवजे के दावे से संबंधित है। विवाद का मुख्य मुद्दा दुर्घटना के समय वाहन के स्वामित्व का था। अपीलकर्ता, जो वाहन का पंजीकृत स्वामी था, ने तर्क दिया कि उसने दुर्घटना से पहले ही वाहन बेच दिया था और इस संबंध में समझौते (agreements) प्रस्तुत किए। हालांकि, उसने इन दस्तावेजों को साबित करने के लिए कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया। न्यायालय ने पाया कि दुर्घटना के समय वाहन का पंजीकरण और बीमा पॉलिसी अपीलकर्ता के नाम पर थी। न्यायालय ने 'Prakash Chand Daga v. Saveta Sharma' मामले का हवाला देते हुए कहा कि पंजीकरण अधिकारियों को हस्तांतरण की सूचना न देने पर पंजीकृत स्वामी दायित्व से नहीं बच सकता। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण (Tribunal) के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देने और फिर अपीलकर्ता से वसूली करने का अधिकार दिया गया था।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरटीओ अभिलेखों में नाम दर्ज रहने तक वास्तविक रूप से बेचा गया वाहन भी कानूनी तौर पर विक्रेता की देयता को समाप्त नहीं करता है।

“Even though in law there would be a transfer of ownership of the vehicle, that, by itself, would not absolve the party, in whose name the vehicle stands in RTO records, from liability to a third person... So long as his name continues in RTO records, he remains liable to a third person.”

HIGH COURT OF KERALA • 2021

स्रोत KLHC010308542010

07 National Insurance Co. Ltd. v. Deepa Devi

SUPREME COURT OF INDIA • 2007-12-11 • 2007 INSC 1257

यह मामला उस स्थिति से संबंधित है जहाँ राज्य सरकार द्वारा चुनाव कार्य के लिए किसी निजी वाहन का अधिग्रहण (requisition) कर लिया जाता है और उस दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि जिस अवधि के लिए वाहन राज्य के नियंत्रण में होता है, उस दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजे का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है, न कि वाहन का पंजीकृत मालिक या उसका बीमाकर्ता। न्यायालय ने माना कि यद्यपि Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 2(30) के तहत मालिक का पंजीकरण बरकरार रहता है, लेकिन अधिग्रहण के दौरान मालिक का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, इसलिए मुआवजे का भार राज्य पर होना चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने स्वामित्व की सामान्य परिभाषा से परे जाकर माना कि जब वाहन को राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से अधिग्रहित किया जाता है, तो उसके नियंत्रण की कमी के कारण मूल पंजीकृत स्वामी उत्तरदायी नहीं होगा।

“For the period the vehicle requisitioned by the State remains under the control of the State and/or its officers, the State shall be liable to pay the amount of compensation to the claimants and not the registered owner of the vehicle or the insurer.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2007

स्रोत ESCR010003112007

08 Satpal v. Puran Chand

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024-07-31 • FA0/363/2016

यह मामला एक मोटर वाहन दुर्घटना के मुआवजे से संबंधित है जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने पंजीकृत मालिक और वाहन के वास्तविक कब्जे वाले व्यक्ति को मुआवजे के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने Naveen Kumar v. Vijay Kumar मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि Motor Vehicles Act की धारा 2(30) के तहत, जब तक वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र RTO रिकॉर्ड में पंजीकृत मालिक के नाम पर है, तक तक वही कानूनी रूप से 'मालिक' माना जाता है और दुर्घटना के लिए तीसरे पक्ष के दावों के प्रति उत्तरदायी रहता है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वाहन का हस्तांतरण होने पर भी पंजीकृत मालिक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता है।

निर्णय न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला का पालन करते हुए दोहराया कि आरटीओ के पंजीकरण रिकॉर्ड में निरंतरता ही तीसरे पक्ष की देयता का प्राथमिक आधार है।

“The principle that emerges from the precedents of this Court is that even though in law there would be a transfer of ownership of the vehicle, that by itself would not absolve the person in whose name the vehicle stands in the registration certificate, from liability to a third party.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024

स्रोत HPHC010082792015

09 United India Insurance Company Ltd. v. Raksha Devi

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024-07-19 • FA0/355/2016

यह मामला एक मोटर दुर्घटना मुआवजे से संबंधित है। दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और Motor Accident Claims Tribunal ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने का निर्देश दिया था। बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि और अपनी देयता (liability) दोनों को चुनौती दी थी।

निर्णय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2(30) की व्याख्या करते हुए पुनः पुष्टि की कि दुर्घटना पीड़ितों को लगातार हस्तांतरण के जटिल जालों में उलझने की आवश्यकता नहीं है; पंजीकृत स्वामी ही उत्तरदायी है।

“The principle underlying the provisions of Section 2(30) is that the victim of a motor accident or, in the case of a death, the legal heirs of the deceased victim should not be left in a state of uncertainty. A claimant for compensation ought not to be burdened with following a trail of successive transfers...”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2024

स्रोत HPHC010142242016

10 The State of Arunachal Pradesh v. Ramchandra Rabidas

SUPREME COURT OF INDIA • 2019-10-04 • 2019 INSC 1126

यह मामला इस कानूनी प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों पर केवल Motor Vehicles Act, 1988 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है या उन पर Indian Penal Code (IPC) के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने माना था कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए केवल Motor Vehicles Act लागू होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए स्पष्ट किया कि IPC और Motor Vehicles Act दो अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। न्यायालय ने कहा कि IPC के प्रावधान, जैसे Section 279, 304A, 337 और 338, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित अपराधों के लिए विशिष्ट हैं और ये Motor Vehicles Act के साथ कोई टकराव पैदा नहीं करते हैं। अतः, एक अपराधी पर दोनों कानूनों के तहत स्वतंत्र रूप से मुकदमा चलाया जा सकता है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मोटर यान अधिनियम मोटर वाहनों के संबंध में एक स्व-निहित कानून है, यह सड़क अपराधों के लिए आईपीसी (IPC) की दंडात्मक धाराओं के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है।

“The offences prescribed under the IPC are independent of the offences prescribed under the M.V. Act – The legislative intent of the M.V. Act, and in particular Chapter XIII of the M.V. Act, was not to override or supersede the provisions of the IPC...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2019

स्रोत ESCR010003792019

11 Chairman, Thiruvalluvar Transport Corporation v. Consumer Protection Council

SUPREME COURT OF INDIA • 1995-02-09 • 1995 INSC 107

यह मामला एक सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के लिए मुआवजे से संबंधित था। मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से, Consumer Protection Council ने National Consumer Disputes Redressal Commission के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। न्यायालय ने निर्णय दिया कि Motor Vehicles Act, 1988 एक 'special law' है, जो मोटर वाहन दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों के लिए विशिष्ट प्रावधान और क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, जबकि Consumer Protection Act, 1986 एक 'general law' है। इसलिए, ऐसे दुर्घटना दावों के लिए Motor Accident Claims Tribunal ही उचित अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना में हुई चोट किसी भी 'service' की कमी नहीं है, जिसके लिए Consumer Protection Act के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सके।

निर्णय न्यायालय ने क्षेत्राधिकार स्पष्ट करते हुए माना कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित दावों का फैसला विशेष न्यायालयों (MACT) द्वारा ही किया जा सकता है, न कि उपभोक्ता मंचों द्वारा।

“Whenever a complaint in relation to any goods sold or delivered or agreed to be sold or delivered or any service provided or agreed to be provided arises, the complainant, i.e. the consumer... can move the appropriate Forum... Section 175 next provides that where any Claims Tribunal has been constituted for any area, no Civil Court shall have jurisdiction...”

SUPREME COURT OF INDIA • 1995

स्रोत ESCR010001311995

12 Moolchand Meena v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2025-09-17 • CW/14245/2025

यह मामला खनन वाहनों (mining vehicles) से संबंधित है, जहाँ याचिकाकर्ताओं ने Transport Department द्वारा लगाए गए भारी जुर्माने और ज़ब्दी की कार्यवाही को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये कार्रवाई बिना उचित प्रक्रिया के की जा रही है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता संबंधित Transport Authorities के समक्ष आवश्यक दस्तावेज और लंबित कर (outstanding taxes) या जुर्माना जमा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तो प्राधिकारी उस पर कानून के अनुसार विचार करें। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि यदि जुर्माना भरने के बाद vehicles को छोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो उसे संबंधित विभाग को अनुपालन करना होगा।

निर्णय न्यायालय ने निर्धारित किया कि नोटिस भेजने के संदर्भ में आरसी रिकॉर्ड में दर्ज पता ही कानूनी रूप से वैध है, और इस पते पर भेजा गया कोई भी नोटिस उचित कानूनी तामीला माना जाएगा।

“Regarding service of notices, it is emphasized that the addresses provided in the registration certificate remains valid until amended and communicated to the relevant department. Therefore, the contention regarding defective service of notice is not tenable.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2025

स्रोत RJHC020809222025

13 Car Carrier Association v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2018-12-11 • SAW/1623/2018

याचिकाकर्ता संघ ने परिवहन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अधिकारियों द्वारा जबरन जुर्माना वसूला जा रहा है और वाहन चालकों को चुनौती देने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने माना कि यदि वाहन मालिक या चालक स्वेच्छा से जुर्माना जमा करके अपराध को कंपाउंड (compound) करते हैं, तो इसे जबरदस्ती नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी को चालान पर आपत्ति है, तो वह उसे कंपाउंड करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में चुनौती दे सकता है। उच्च न्यायालय ने मामले में तथ्यात्मक विवाद होने के कारण रिट याचिका और बाद में दायर अपील को खारिज कर दिया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चालान जारी होने पर कंपाउंडिंग केवल एक स्वैच्छिक विकल्प है। यदि वाहन स्वामी को कोई आपत्ति है, तो वह कंपाउंड करने से इनकार करके न्यायिक मंचों पर अपना मामला लड़ सकता है।

“If the petitioners had any objection, they always had the option to contest and challenge the action of the Transport Authority, which they have not... if any vehicle owner or driver want to contest the position, he may not agree for compounding the offences...”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2018

स्रोत RJHC021124092018

14 Benetton India Private Limited v. State NCT of Delhi

HIGH COURT OF DELHI • 2024-10-21 • CRL.M.C./6071/2024

यह मामला Benetton India Private Limited द्वारा दायर की गई याचिका से संबंधित है, जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कंपनी के MD/CEO को व्यक्तिगत रूप से ट्रैफिक चालान के निपटान के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि जब कंपनी के पास एक अधिकृत प्रतिनिधि (Authorized Representative) है, तो CEO की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत को अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से चालान निपटाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ई-कोर्ट प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न सुझावों का संज्ञान लिया ताकि नागरिकों के लिए ई-चालान और शिकायतों का समाधान अधिक सुगम बनाया जा सके।

निर्णय न्यायालय ने स्वचालित सीसीटीवी ई-चालान और ई-कोर्ट प्रणाली की व्यापक व्याख्या की और यह माना कि चालान निपटाने के लिए केवल तकनीकी आधार पर व्यक्तिगत रूप से बड़े अधिकारियों को बुलाना तर्कहीन है।

“The introduction and adjudication of traffic challans through e-Traffic Courts has revolutionized the process of disposals of challans and has advanced the public services to the common litigant... the violator can pay the penalty or the compounding amount online and after the disposal, the same is reflected in the database.”

HIGH COURT OF DELHI • 2024

स्रोत DLHC010480652024

15 Narendra Singh v. Union of India

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-01-28 • WRIA/1644/2023

यह याचिका Narendra Singh द्वारा दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने वाहन के खिलाफ जारी किए गए E-challans को चुनौती दी थी और वाहन के fitness certificate को नवीनीकृत करने का निर्देश मांगा था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये अपराध Motor Vehicle Act 1988 के तहत compoundable हैं। न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी। न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करें और निर्णय लें। इस आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया गया।

निर्णय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फिटनेस प्रमाणपत्र के सुगम नवीनीकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित चालानों के शमन (compounding) के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

“He submits that so far as the impugned E-challan is concerned, the same is compoundable in view of the Motor Vehicle Act 1988... in case petitioner moves an application before the competent authority within three week's time, this Court hope and trust that the competent authority will proceed and decide...”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC010192242023

16 The State of Himachal Pradesh v. Goel Bus Service Kullu

SUPREME COURT OF INDIA • 2023-01-13 • 2023 INSC 27

यह मामला हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3A(3) की वैधता से संबंधित है, जिसके तहत बिना वैध परमिट के चल रहे परिवहन वाहनों पर अतिरिक्त 'विशेष सड़क कर' लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने इसे दंड (penalty) मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए कहा कि यह कर विनियामक (regulatory) और प्रतिपूरक (compensatory) प्रकृति का है, न कि दंड। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास अपनी सड़कों के रखरखाव के लिए धन जुटाने और उल्लंघन रोकने हेतु निवारक (deterrent) उपाय करने की विधायी क्षमता है। साथ ही, केंद्रीय कानून Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 192A के साथ इसमें कोई टकराव नहीं है, क्योंकि यह कर और दंडात्मक कार्यवाही अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं।

निर्णय न्यायालय ने अधिनियम की धारा 192A के तहत दंडात्मक कार्यवाहियों के दायरे को स्पष्ट किया और इसे राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विनियामक सड़क करों से स्वतंत्र माना।

“Section 192A introduced in 1994 provides that any motor vehicle being driven in contravention of the provisions of sub-section (1) of Section 66 or in contravention of any condition of permit... would be a punishable offence which will result into imprisonment...”

SUPREME COURT OF INDIA • 2023

स्रोत ESCR010003672023

17 Naveen Kumar v. Vijay Kumar and Ors.

SUPREME COURT OF INDIA • 2018-02-06 • 2018 INSC 100

यह मामला मोटर वाहन दुर्घटना में मुआवजे के उत्तरदायित्व से संबंधित है। दुर्घटना में शामिल वाहन के पंजीकृत मालिक (registered owner) ने तर्क दिया कि उसने वाहन बेच दिया था, इसलिए वह मुआवजे के लिए जिम्मेदार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Motor Vehicles Act, 1988 की Section 2(30) के तहत, जिस व्यक्ति के नाम पर वाहन पंजीकृत है, वही कानून की दृष्टि में मालिक है। न्यायालय ने कहा कि दुर्घटना के पीड़ितों को वाहन के मालिकाना हक के क्रमिक हस्तांतरण के जटिल जाल में नहीं उलझाया जाना चाहिए। यदि वाहन के पंजीकरण में नाम नहीं बदला गया है, तो पंजीकृत मालिक ही उत्तरदायी बना रहेगा। न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज करते हुए मूल पंजीकृत मालिक को मुआवजे के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वामित्व की कानूनी परिभाषा को स्पष्ट रूप से संकुचित किया और धारा 2(30) के सख्त पाठ्य अर्थ को लागू किया।

“Having regard to the definition contained in Section 2(30), it was urged that the High Court was in error in foisting the liability on the appellant who is not the registered owner of the vehicle... the person in whose name the registration stands must be deemed to continue as the owner of the vehicle for the purposes of the Act.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2018

स्रोत ESCR010004462018

18 United India Insurance Company Limited v. Y. Adilakshmi

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2010-11-10 • CRP/346/2007

यह मामला एक मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजे से संबंधित है। याचिकाकर्ता (United India Insurance Company) ने दावा किया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा वास्तव में प्रतिवादी संख्या 9 (New India Assurance Company) के पास था और उसने संबंधित दस्तावेजों को पेश करने का अनुरोध किया था। निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर इस आवेदन को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि Order 11 Rule 14 of the Code of Civil Procedure के तहत किसी पक्ष को दस्तावेज पेश करने के लिए निर्देश मांगने का अधिकार है। न्यायालय ने निचली अदालत के

आदेश को रद्द करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण को मुआवजे के दावों के शीघ्र निपटान के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और उसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे दस्तावेजों के उत्पादन का निर्देश देना चाहिए था।

निर्णय न्यायालय ने रेखांकित किया कि मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरणों को अधिनियम की धारा 169 के तहत एक संक्षिप्त (summary) प्रक्रिया का पालन करना चाहिए ताकि दावों का त्वरित निस्तारण हो सके।

“The Claims Tribunal shall have all the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents... The Tribunals have to follow summary procedure under Section 169 of the Act.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2010

स्रोत HBHC010376482007

19 Umesh Kumar v. Leela Devi

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025-06-16 • CMP.M/179/2025

यह मामला Motor Vehicles Act के तहत मुआवजे के दावे के दौरान एक दावेदार (claimant) की मृत्यु होने पर उनके कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर लाने से संबंधित है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि MACT कार्यवाही में Code of Civil Procedure का Order 22 सख्ती से लागू नहीं होता है, इसलिए इन कार्यवाहियों का स्वतः निष्पादन (abatement) नहीं होता। हालांकि, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्रतिस्थापित (substituted) किए जाने वाले कानूनी वारिसों को यह सिद्ध करना होगा कि वे मूल दुर्घटना के पीड़ित (victim) के मुआवजे के हकदार हैं। इस मामले में, मृत दावेदार के वे वारिस, जो पीड़ित पर निर्भर नहीं थे और जिनका मुआवज़ा पाने का कोई स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं था, उन्हें प्रतिस्थापन के लिए अनुमति नहीं दी गई।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दीवानी प्रक्रिया संहिता के कड़े प्रावधान न्यायाधिकरण की संक्षिप्त कार्यवाहियों में केवल सीमित सीमा तक ही लागू होते हैं।

“From the aforesaid provisions, it is unambiguous that application of provisions of Code of Civil Procedure has been made to a limited extent to the proceedings under M.V. Act before MACT. Therefore, there is implied implicit exclusion of all provisions of Code of Civil Procedure...”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2025

स्रोत HPHC010630382024

20 Ravindra Kumar v. Union Of India

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-02-28 • WRIA/3763/2023

यह याचिका एक वाहन की जब्ती और e-challans को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि Motor Vehicle Act के Rule 139(A) के तहत केवल दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं, वाहन नहीं। न्यायालय ने मामले के गुण-दोष में जाए बिना याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि यदि वह Motor Vehicle Act के तहत निर्धारित जुर्माना जमा करता है, तो वाहन जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि Goods and Services Tax Act और Mining Act के तहत अपराध compoundable हैं, तो याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी गई, जिस पर अधिकारियों को कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

निर्णय न्यायालय ने निर्देशित किया कि यदि उल्लंघनकर्ता ई-चालान और अन्य संबंधित शुल्कों का भुगतान करने के लिए सहमत है, तो प्राधिकारियों को जब्त किए गए वाहन को तत्काल मुक्त करना चाहिए।

"In case the petitioner deposits the amount of challan i.e. 60,000/- after penalty 62,050/-, which is agreed by the petitioner, the vehicles may be released in his favour, in case there is no other impediment."

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC010436002023

21 Patricia Reiter v. Somnath Sharad Mandrekar

BOMBAY HIGH COURT • 2025-07-21 • WPCR/37/2025

यह मामला Section 138 of the Negotiable Instruments Act के तहत दायर एक शिकायत से संबंधित है। याचिकाकर्ता (अभियुक्त) ने निचली अदालत के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिनमें गवाहों को बुलाने और दस्तावेज पेश करने के उनके आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि ये साक्ष्य उसके बचाव के लिए आवश्यक हैं, विशेष रूप से यह साबित करने के लिए कि चेक दबाव में लिए गए थे। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि मुकदमे को लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा था और आरोपी द्वारा मांगे गए साक्ष्य मामले के न्यायसंगत निर्णय के लिए प्रासंगिक नहीं थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेशों को सही ठहराते हुए याचिकाएं खारिज कर दीं और मुकदमे को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने भीड़ को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए ई-चालान जैसे विवाद रहित सरल मामलों के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रणालियों के विकास का सुझाव दिया।

"Use of modern technology needs to be considered not only for paperless courts but also to reduce overcrowding of courts. There appears to be need to consider categories of cases which can be partly or entirely concluded "online" without physical presence of the parties by simplifying procedures... Traffic challans may perhaps be one such category."

BOMBAY HIGH COURT • 2025

स्रोत HCBM050009722025

22 Rabina v. Arshad

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-05-02 • FA0/10256/2014

यह मामला एक मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित है जिसमें दावेदारों ने Motor Accident Claims Tribunal द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए अपील की थी। दुर्घटना 10 मार्च 2012 को हुई थी, जिसमें Arshad द्वारा लापरवाही से चलाए गए JCB वाहन की टक्कर से Memuna और Sahila की मृत्यु हो गई थी, जबकि Hakam और Rabina घायल हो गए थे। न्यायालय ने मृतक बच्चों और गृहिणी के लिए 'notional income' और 'future prospects' को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि का पुनर्मूल्यांकन किया। न्यायालय ने Kishan Gopal और Pranay Sethi जैसे Supreme Court के निर्णयों का पालन करते हुए मुआवजे की राशि को बढ़ाने का आदेश दिया, ताकि यह एक 'just and reasonable' मुआवजा सुनिश्चित कर सके।

निर्णय न्यायालय ने इस वैधानिक स्थिति को सुदृढ़ किया कि वाहन की बिक्री होने के बावजूद यदि नया पंजीकरण दर्ज नहीं होता है, तो पंजीकृत मालिक ही उत्तरदायी बना रहेगा।

"In a situation such as the present where the registered owner has purported to transfer the vehicle but continues to be reflected in the records of the registering authority as the owner of the vehicle, he would not stand absolved of liability."

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010995042014

23 Ici Lombard General Insurance Co. Ltd. v. Rambeti

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023-12-12 • /6160/2023

यह मामला Motor Accident Claims Tribunal द्वारा जारी किए गए उस आदेश से संबंधित है, जिसमें बीमा कंपनी (याचिकाकर्ता) के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही (ex-parte) शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के क्लर्क द्वारा की गई गलती का हवाला देते हुए इस आदेश को वापस लेने (recall) का आवेदन दिया था, लेकिन न्यायाधिकरण ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदन के साथ पक्षकार या वकील का शपथ-पत्र संलग्न नहीं था। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निर्णय को सही ठहराया। अदालत ने माना कि Order IX Rule 7 के तहत, गैर-उपस्थिति के लिए 'पर्याप्त कारण' (good cause) संबंधित पक्षकार या उसके वकील द्वारा ही दिया जाना चाहिए। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि Order 19 Rule 3, CPC के प्रावधान न्यायाधिकरण के समक्ष लागू नहीं होते हैं, इसलिए याचिका को गुणहीन मानते हुए खारिज कर दिया गया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि गैर-उपस्थिति का कारण केवल मामले के वास्तविक पक्षकार या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना आवश्यक है।

“Order IX Rule 7 provides that where the Court has adjourned the hearing of the suit ex-parte, and the defendant, at or before such hearing, appears and assigns good cause for his previous non-appearance... Therefore the good cause for previous non appearance is to be assigned by the defendant.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2023

स्रोत UPHC020860792023

24 Purnya Kala Devi v. State of Assam & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2014-04-07 • 2014 INSC 253

यह मामला सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मुआवजे से संबंधित है। मृतक के पति की मृत्यु उस बस से हुई जो दुर्घटना के समय राज्य सरकार द्वारा 'Assam Requisition and Control of Vehicles Act, 1968' के तहत अधिकृत (requisition) की गई थी। राज्य ने यह तर्क दिया कि वाहन दुर्घटना से पहले ही छोड़ दिया गया था, लेकिन वे इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत या नोटिस पेश नहीं कर सके। न्यायालय ने माना कि जब कोई वाहन सरकार के अधिकार और नियंत्रण में होता है, तो सरकार 'Motor Vehicles Act, 1988' की धारा 2(30) के तहत 'owner' की परिभाषा में आती है। अतः, राज्य को मुआवजे का भुगतान करने का उत्तरदायी ठहराया गया और वाहन के पंजीकृत मालिक को दायित्व से मुक्त कर दिया गया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'स्वामित्व' का अर्थ केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र में नाम होना नहीं है, बल्कि दुर्घटना के समय वाहन पर प्रभावी भौतिक नियंत्रण और कब्जा होना भी है।

“The High Court further failed to appreciate the legislative intention that the registered owner of the vehicle should not be held liable if the vehicle was not in his possession and control.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2014

स्रोत ESCR010005402014

25 Urmila v. Sushma

HIGH COURT OF DELHI • 2019-03-18 • MAC.APP./917/2017

यह मामला मोटर वाहन दुर्घटना में मुआवजे की जिम्मेदारी से संबंधित है। अपीलकर्ता, जो दुर्घटना के समय वाहन का पंजीकृत मालिक (registered owner) था, ने तर्क दिया कि उसने दुर्घटना से पहले वाहन बेच दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वाहन का पंजीकरण केवल स्वामित्व का प्रमाण है, जो साक्ष्य द्वारा खंडन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि चूंकि वाहन का वास्तविक हस्तांतरण दुर्घटना से पहले हो चुका था और

अपीलकर्ता का वाहन पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए वह दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय ने Motor Vehicles Act, 1988 के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता को मुआवजे के भुगतान की देनदारी से मुक्त कर दिया और निर्णय को संशोधित किया।

निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय ने फुल बेंच के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए यह माना कि वास्तविक बिक्री के उपरांत विक्रेता दुर्घटना से उत्पन्न किसी भी नागरिक देयता (tortious or statutory liability) के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, भले ही उसका नाम आरटीओ के रिकॉर्ड में अभी भी पंजीकृत स्वामी के रूप में दर्ज हो।

“A decree or award, in our opinion, can never be made against a person who has sold the vehicle prior to the date of accident... The fact that he continues to be the registered owner would not make any difference so far as his liability to pay compensation under tort or statute is concerned.”

HIGH COURT OF DELHI • 2019

स्रोत DLHC014561982017

अ स्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।